न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 413/2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

तहसीलदार बाडमेर

तगाराम, पुरखाराम पिसरान दुर्गाराम चनणीदेवी पत्नी दुर्गाराम, हुकमाराम, सोनाराम पिसरान तेजाराम, खेतु पत्नी तेजाराम, देवाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी मण्डों का तला तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

आदेश

दिनांक 16.12.2022

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2019/4654 दिनांक 16.08.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मण्डों का तला पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी के मूल खसरा संख्या 242 के बट्टा नम्बर 342/242, 351/242, 428/242, 352/242 के कुल चार टुकड़े है तथा लठ्ठा ट्रेस में भी कुल चार टुकड़े है, लेकिन एक टुकड़े में नम्बर अंकित नही है तथा नम्बर अंकित होने से शेष खसरा संख्या 352/242 रकबा 03.00 बीघा भूमि की मौका स्थिति, नजरी तरमीम अक्ष तथा रकबे में काफी अंतर आ रहा है। खसरा संख्या 352/242 रकबा 03.00 बीघा भूमि समर्पित होने के पश्चात सरकारी खाते में दर्ज है तथा मौके पर स्कूल भवन निर्मित है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार गलत तरमीम है तथा मौके पर स्थित कब्जा काश्त, स्कूल भवन की स्थिति, रकबाधारी व नामान्तकरण संख्या 12 की पुश्त भाग पर अंकित नजरी तरमीम अक्ष के आधार पर मण्डों का तला के खसरा संख्या 352/242 रकबा 03.00 बीघा भूमि की तरमीम दुरूस्त किया जानाकर परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार बाडमेर ने पत्रांक भू.अ./2019/4654 दिनांक 16.08.2019 द्वारा ग्राम मण्डों का तला पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी के मूल खसरा संख्या 242 के बट्टा नम्बर 342/242, 351/242, 428/242, 352/242 में संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार गलत तरमीम है तथा मौके पर स्थित कब्जा काश्त, स्कूल भवन की स्थिति, रकबाधारी व नामान्तकरण संख्या 12 की पुश्त भाग पर अंकित नजरी तरमीम अक्ष के आधार पर मण्डों का तला के खसरा संख्या 352/242 रकबा 03.00 बीघा भूमि की तरमीम दुरूस्त किया जानाकर परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:20:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहासीलदार बाडमेर को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर ग्राम मण्डों का तला पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी के मूल खसरा संख्या 242 के बट्टा नम्बर 342/242, 351/242, 428/242, 352/242 में संलग्न

नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार [redacted] है तथा मौके पर स्थित कब्जा काश्त, स्कूल भवन की स्थिति, रकबाधारी व नामान्तकरण संख्या 12 की पुश्त भाग पर अंकित नजरी तरमीम अक्ष के आधार पर मण्डों का तला के खसरा संख्या 352/242 रकबा 03.00 बीघा भूमि की तरमीम दुरूस्त किया जानाकर परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डों का तला पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी के मूल खसरा संख्या 242 के बट्टा नम्बर 342/242, 351/242, 428/242, 352/242 की वर्तमान तरमीम परिशिष्ठ ''अ'' को निरस्स्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:20:50 IST
Reason: SelfAttested